

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'बत्तीस'

[14/3/2018]

प्रश्न सं. [क. 3335]

परिशिष्ट अ

(विधानसभा तारांकित प्रश्न क. 3335) इंजी. प्रदीप लारिया

औ.क्षेत्र सिद्धगुवों एवं चनाटोरिया में आर.एस.पी.एल. यूनिट नं. 1 एवं आर.एस.पी.एल. यूनिट 2 के विरुद्ध विगत 04 वर्षों में इस कार्यालय को प्राप्त शिकायतों का विवरण -

क.	शिकायतकर्ता का नाम एवं शिकायत प्राप्त होने का दिनांक	शिकायत का विवरण	कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही
1	सुदामा पटेल, गजराज पटेल, सुरेश पटेल एवं अन्य प्राप्ति दि. 28.09.2016	आर.एस.पी.एल. यूनिट नं. 2 सिद्धगुवों का केमीकलयुक्त गंध देने वाले पानी से खेती, कुआँ इत्यादि प्रभावित होने संबंधी।	शिकायत के संबंध में उद्योग का निरीक्षण किया गया एवं शिकायतकर्ता के कुएँ का जल नमूना दि. 04.10.2016 को लिया गया, जिसके परिणाम निर्धारित मानकों में पाये गये थे। निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री के बाहर स्थापित आउटलेट दूषित जल का निस्सारण नहीं पाया गया परन्तु परिसर से बाहर निस्त्राव हेतु दो आउटलेट पाये गये जिन्हे बंद करा दिया गया है।
2	माननीय विधायक, विधानसभा नरयावली क्षेत्र प्राप्ति दि. 17.04.2017 (कार्यालय कलेक्टर से प्राप्त दि. 07.07.2017)	औद्योगिक क्षेत्र, सिद्धगुवा स्थित घड़ी फैक्ट्री की जाँच विषयक।	उद्योग को दि. 31.03.2017, 27.05.2017 एवं दि. 21.07.2017 को पत्र जारी किये गये। कुएँ के जल नमूने लिए गए परिणाम निर्धारित मानकों में पाये गये।
3	बलराम पटेल एवं अन्य प्राप्ति दि. 28.12.2017	आर.एस.पी.एल. यूनिट नं. 2, केमीकलयुक्त गंध देने वाले पानी को बंद कराने बावत्।	दि. 11.01.2018 को उद्योग के परिसर के बाहर चारों ओर निरीक्षण किया गया तथा दूषित जल का निस्सारण नहीं पाया गया।
4	सुदामा पटेल द्वारा-आयुक्त कार्यालय सागर संभाग, सागर प्राप्ति दि. 30.01.2018	घातक केमीकल फैक्ट्री बंद कराने बावत्।	दि. 24.02.2018 को कार्यालय के वैज्ञानिक व रसायनज्ञ द्वारा निरीक्षण किया गया तथा दूषित जल का निस्सारण नहीं पाया गया।

Jawle
11/3/18
Sub-Engg.